बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
-:कार्यालय आदेश :-

का0आ0सं0– 2/अ0प्र0–1–01/2024 338 /पटना, दिनांक– 27.6.25

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत कार्य प्रमंडल, जमुई के अधीन स्वीकृत एवं निर्माणाधीन पथ " अमीन खैरा पथ से ढ़ाब पथ" की जॉच, अधीक्षण अभियंता शोध एवं विकास की अध्यक्षता में गठित जॉच दल द्वारा दिनांक 31.12.2023 को की गई। निरीक्षण में पथ का कार्य निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये जाने संबंधी आरोपों पर विभागीय पत्रांक 31 दिनांक 04.01.2024 द्वारा कार्य से संबंधित श्री प्रकाश चन्द्र बादल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–918, दिनांक 03.04.2024 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितता के लिए श्री बादल के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए कार्यालय आदेश संख्या–32 दिनांक–27.06.2024 द्वारा मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इसी क्रम में श्री बादल को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–20 दिनांक–09.01.2025 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया।

2. मुख्य अभियंता–1–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 287 अनु0 दिनांक 18.02.2025 द्वारा श्री बादल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री बादल के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरान्त समर्पित जॉच प्रतिवेदन/अधिगम से असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 के तहत श्री बादल से विभागीय पत्रांक 3746 दिनांक 02.04.2025 द्वारा जॉच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर अपना लिखित अभिकथन/निवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

4. श्री बादल द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की तकनीकी समीक्षा अभियंता प्रमुख से करायी गयी। अभियंता प्रमुख द्वारा संचालन पदाधिकरी के मंतव्य पर सहमति व्यक्त की गयी। उक्त के आलोक में मामले में समग्र समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री प्रकाश चन्द्र बादल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव श्री प्रकाश चन्द्र बादल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

27/06/25

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–01/2024 6826/पटना, दिनांकः– 27.6.25

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/06/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–01/2024 6826 /पटना, दिनांकः– 27.6.25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/श्री प्रकाश चन्द्र बादल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी/अवर सचिव, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/06/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–01/2024 6826 /पटना, दिनांकः– 27.6.25

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/06/25

अवर सचिव